

प्रेस नोट

थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत मु0अ0सं0 411/2021 धारा 147,148,149,452,323,504,506,307,302 आईपीसी व 3(2)5 SC/ST Act में वांछित एवं 10000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी कपिल पाण्डेय पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी पिपरिया जयभद्र थाना पूरनपुर पीलीभीत की गिरफ्तारी व आला कत्ल की बरामदगी ।

वादी श्री राजकुमार पुत्र स्व0 छोटेला निवासी पिपरिया जयभद्र थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत द्वारा थाना पूरनपुर पर 411/2021 धारा 147,148,149, 452,323,324,504,506,307,302 आईपीसी व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट दिनांक 02.07.2021 को अभियुक्तगण कपिल पाण्डेय पुत्र रामेश्वर दयाल, प्रेमशंकर पाण्डेय पुत्र रामेश्वरदयाल पाण्डेय, सुखलाल पुत्र नन्हूलाल निवासीगण पिपरिया जयभद्र_थाना पूरनपुर पीलीभीत व चार अज्ञात के विरुद्ध पूर्व में अपने विरुद्ध पंजीकृत मु0अ0सं0 285/2021 धारा 452,323,324,504,506 भा.द.वि. व 3(2)5ए SC/ST Act में समझौता का दबाव बनाना समझौता न होने पर अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर घातक आयुद्ध से सुसजित होकर वादी के घर में घुसकर मारपीट जाति सूचक गाली गलौज करना । जाने से मारने के उद्देश्य से फायर करना एवं गोली लगने से मृत्यु कारित होने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था । दिनांक 03.07.2021 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी महोदय के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक हरीशवर्धन सिंह थाना पूरनपुर पीलीभीत के द्वारा मय हमराही पुलिस बल के साथ मुकदमा उपरोक्त में वांछित एवं 10000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी कपिल पाण्डेय पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी पिपरिया जयभद्र थाना पूरनपुर पीलीभीत को गिरफ्तार किया गया है । पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा अपराध करने का इकवाल किया गया है एवं अभियुक्त के द्वारा हत्या करने में प्रयोग किया गया आला कत्ल एक तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर अभियुक्त की निशादेही पर आज दिनांक 04.07.2021 को बरामद किया गया है । जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 414 /2021 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त- कपिल पाण्डेय पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी पिपरिया जयभद्र थाना पूरनपुर पीलीभीत

बरामदगी- हत्या में प्रयुक्त एक तमंचा 315 बोर व एक खोखा एवं एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 411/2021 धारा 147,148,149,452,323,504,506,307,302 भा.द.वि. व 3(2)5 SC/ST Act
2. मु0अ0सं0 285/2021 धारा 452,323,324,504,506 भा.द.वि. व 3(2)5ए SC/ST Act
3. मु0अ0सं0 547/2018 धारा 307,302 आईपीसी
4. मु0अ0सं0 414/2021 धारा 3/25/27 Arms Act

घटना का संक्षिप्त विवरण- अभियुक्त पूर्व में अपने विरुद्ध पंजीकृत मु0अ0सं0 285/2021 धारा 452,323,324,504,506 भा.द.वि. व 3(2)5ए SC/ST Act में समझौता का दबाव बनाना रहा था । समझौता न होने पर अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर घातक आयुद्ध से सुसजित होकर वादी के घर में घुसकर मारपीट जाति सूचक गाली गलौज , जान से मारने की धमकी दिया गया एवं जाने से मारने के उद्देश्य से फायर किया गया फायरिंग में गोली लगने से शीला देवी उम्र 35 वर्ष की मृत्यु हुई थी ।